न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 2017/185 दायर दिनाँक 11.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. आशाराम चौधरी दत्तक पुत्र श्री नानूराम, उम्र–42 साल, जाति– जाट, निवासी छापरी कला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मानाराम पुत्र श्री परसाराम, 2. श्रवणराम पुत्र श्री परसाराम 3. सोहनलाल पुत्र तुलछा 4. बाबुलाल पुत्र तुलछा 5. बिमला पुत्री तुलछा 6. सन्तोष पुत्री तुलछा 7. गीता पुत्री तुलछा 8. सिणगारी पत्नी तुलछा 9. सन्तोष पत्नी छोटूराम 10. सरिता पुत्री छोटूराम 11. कर्मा पुत्री छोटूराम 12. जीवणी देवी पत्नी उमाराम 13. मुकेश पुत्र उमाराम 14. हीरालाल पुत्र उमाराम 15. सुमन पुत्री उमाराम 16. मनीषा पुत्री उमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण छापरी कला तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान, 17. हनीफ खां पुत्र अजीज खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 88, R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री शिव भगवान चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 16.01.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 16 एक ही परिवार से तालुक रखते है तथा ग्राम छापरी कंला के मूल निवासी है। वादी के दादा स्वर्गीय लालूराम के पांच पुत्र हुए जिसमें परसाराम नानूराम रामूराम ज्ञानाराम व तुलछाराम हुए

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जिनमे से परसाराम तुलछाराम व नानूराम के बंट में खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 52 बीघा तथा रामुराम व ज्ञानाराम के खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 30 बीघा मौजा छापरी कलां में हिस्से में आये। वादी के दत्तक पिता स्वर्गीय नानूराम जी अविवाहीत फौत हो गये फौतगी से पुर्व वादी को स्वर्गीय नानूराम पुत्र लालूराम ने अपने भाई ज्ञानाराम व उसकी पत्नी (वादी की प्राकृति माता नारायणी) की सहमती से सभी रस्में अदा कर गौदपुत्र वादी को लिया गया।

वादी तथा वादी के परिवार व कुटुम्ब के सदस्यों की भी सहमति है कि वादी ही स्व0 नानूराम जी का दत्तक पुत्र है तथा उसी ने स्वर्गीय नानूराम के क्रियाक्रम, पिण्डदान तथा हिन्दुधर्म मे जितनें भी कार्य होते है वादी ने ही उनका सही सम्मानिय रूप से निर्वाह किया है तथा स्व0 नानूराम की सम्पतियों पर वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वादी ही उनका भोग व उपभोग करता आया है। स्व0 नानूराम के स्वर्गवास के पश्चात खेत खसरा संख्या 98 रकबा 52 बीघा में से 1/3 भाग पर कब्जाकाश्त वादी का ही है। एक अन्य खेत खसरा सं0 181 रकबा 30 बीघा जिसमें स्वर्गीय रामूराम के हिस्से में 16 बीघा खेत बंट में आया हुआ है तथा स्वर्गीय ज्ञानाराम के बंट में 14 बीघा खेत हिस्से में आया हुआ है। इसके अलावा स्व0 तुलछाराम, स्व0 परसाराम व स्व0 नानूराम के खेत खसरा सं0 98 रकबा 52 बीघा में से तीनों के वंशजों के 1/3, 1/3, 1/3 भाग की खातेदारी आई हुई है।

स्वर्गीय नानूराम का स्वर्गवास सन् 1976 में हो गया । तथा उसके बाद से स्वर्गीय नानूराम दत्तक पिता वादी ने खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 52 बिघा में सें 1/3 भाग पर कब्जा काश्त वादी का है।

प्रार्थना वादी निम्नानुसार है :–

(क) खेत खसरा सं0 98 रकबा 52 बीघा वाके सरहद छापरी कला में सें स्वर्गीय नानूराम के 1/3 भाग दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदारी की घोषणा वादी के पक्ष में की जावें।

(ग) कि अन्य दादरसी मुफीद वादी अता फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित । अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 185
दायर दिनाँक 11.07..2017, निणर्य दिनाँक 16.01.2018
आशाराम बनाम् मानाराम, वगैरा।

पत्र पेश हुआ। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी नकल, प्रदर्श–2 सहमति पत्र, प्रदर्श–3 ग्राम पंचायत का दत्तक प्रमाण पत्र तथा प्रदर्श–4 नानूराम का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रदर्शित किये।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्तसम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद छापरी कला के खेत खसरा सं0 98 रकबा 52 बीघा में से 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी आशाराम -पौत्र(दत्तक) दत्तक पुत्र श्री नानूराम, के नाम घोषित कि जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **16.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/185** दायर दिनाँक **11.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. आशाराम चौधरी दतक पुत्र श्री नानूराम, उम्र— 42 साल, जाति— जाट, निवासी छापरी कला तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मानाराम पुत्र श्री परसाराम, 2. श्रवणराम पुत्र श्री परसाराम 3. सोहनलाल पुत्र तुलछा 4. बाबुलाल पुत्र तुलछा 5. बिमला पुत्री तुलछा 6. सन्तोष पुत्री तुलछा 7. गीता पुत्री तुलछा 8. सिणगारी पत्नी तुलछा 9. सन्तोष पत्नी छोटूराम 10. सरिता पुत्री छोटूराम 11. कर्मा पुत्री छोटूराम 12. जीवणी देवी पत्नी उमाराम 13. मुकेश पुत्र उमाराम 14. हीरालाल पुत्र उमाराम 15. सुमन पुत्री उमाराम 16. मनीषा पुत्री उमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण छापरी कला तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान, 17. हनीफ खां पुत्र अजीज खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, (उप पंजीयक अधिकारी) जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा— 88, R.T.Act. दिनाँक **16.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शिवभगवान चौधरी, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद छापरी कला के खेत खसरा सं0 98 रकबा 52 बीघा में से 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी आशाराम दतक पुत्र श्री नानूराम, के नाम घोषित कि जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत......................—......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner